कार्यालय– वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण शहडोल वन मण्डल
जिला . शहडोल – 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2012 1569 शहडोल, दिनांक 5/3/12

प्रति,

मे0 बिरला कारपोरेशन लि0
सतना विक्रम कोल ब्लाक, शहडोल

विषयः– Request for suitability certificate of land for compensatory land against forest deiversion of Bikram Coal Block.

संदर्भः– बिरला कारपोरेशन के आवेदन दिनांक 22.11.2011

–0–

मे0 बिरला कारपोरेशन लि0सतना विक्रम कोल ब्लाक शहडोल ने कार्या.क. / निल दिनांक 21.11.11 से ग्राम छिनमार एवं नंदटोला में कमशः 126.60 एकड़ एवं 60.00 एकड़ में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मे0 बिरला कारपोरेशन लि0सतना विक्रम कोल ब्लाक शहडोल से प्राप्त खसरा एवं नक्शा की फोटोकापी संलग्न कर कार्या.पत्र क. / माचि / 6268 दि.05.12.11 से उप वनमण्डल अधिकारी जैतपुर एवं परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर एवं केशवाही को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रस्तावित निजी भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपयुक्त है अथवा नही, प्रतिवेदन चाहा गया था।

उप वनमण्डल अधिकारी जैतपुर ने अपने पत्र क. / 71 एवं 72 दिनांक 21.12.2011 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि उक्त निजी भूमि का संयुक्त रूप से निरीक्षण दि.21.12.11 को भूमि स्वामीयों एवं कम्पनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। क्षेत्र सीमांकन नही था परन्तु निजी भू–स्वामीयों एवं कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा बताये अनुसार ग्राम छिनमार के 76 किता रकबा 80.356 हे0 एवं नंदटोला के 35 किता रकबा 22.007 हे0 प्रस्तावित् भूमि की संरचना एंव मिट्टी के प्रकार क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपयुक्त है एवं प्रस्तावित दोनो ग्रामों की भूमि वन सीमा से लगी हुई है।

कृपया ग्राम नंदटोला एवं छिनमार के अंतर्गत निजी भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु उपलब्ध करावें एवं राजस्व वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से सीमांकन कराकर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि प्रस्तावित क्षेत्र के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सकें। शेष 48.732 हे0

राजस्व / निजी भूमि उपलब्ध करावें। जब तक पूर्ण भूमि उपलब्ध नही हो जाती है तब तक क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर उच्चाधिकारियों को नही भेजी जा सकती है।

वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल
5/3/12

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2012 शहडोल, दिनांक ....

प्रतिलिपि–

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के पत्र क्र. / माचि / 3722 दि.14.5.10 के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। मे0 बिरला कारपोरेशन लि0 सतना विक्रम कोल ब्लाक शहडोल द्वारा ग्राम छिनमार एवं नंदटोला, से प्राप्त निजी भूमि प्राप्त होते ही क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर प्रस्तुत की जावेगी।

वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल
5/3/12

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सामान्य रीवा(म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा – 486001
E Mail- dforewa@rediffmail.com, Phone- 07662- 251335 Fax- 07662- 254335

क्रमांक/मा.चि./ 5836 रीवा, दिनांक 16-7-12

प्रति,

विरला कार्पोरेशन
लिमिटेड इकाई सतना
जिला सतना (म.प्र.)

विषयः– Request for suitbility of land for compensatory land against forest diversion of Bikarm coal project District Shahdol (M.P.)

सन्दर्भः– उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल रीवा का पत्र क्र./1589 रीवा दिनांक 26.6.2012

विषयान्तर्गत लेख है कि विड़ला कार्पोरेशन द्वारा कोल माइन्स प्रोजेक्ट हेतु वन विभाग की 239.00 हे. वनभूमि शहडोल वृत्त की अधिकृत की गई है जिसके बदले वृक्षारोपण हेतु वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र अतरैला की ग्राम कोनी की कक्ष क्र. 211,212,213,से लगी हुई 106.898 एकड़ या 43.258 हे. राजस्व भूमि आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है जिसके लिए आवेदक संस्था द्वारा इस कार्यालय से उपयुक्त्ता प्रमाण–पत्र चाहा गया है, जिसके सम्बंध में उपवनमण्डलाधिकारी रीवा से उनके पत्र क्र./1589 रीवा, दिनांक 26.06.12 द्वारा एवं पुनः 10 बिन्दुओं के आधार पर जानकारी पत्र क्र./1706 दिनांक 12.07.12 को ली जा चुकी है एवं उपवनमण्डलाधिकारी रीवा द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी अतरैला से स्थल की जॉच दिनांक 25.06.2012 को एवं पुनः 10 बिन्दुओं के आधार पर संशोधित जानकारी उनके पत्र क्र./ 626 दिनांक 11.07.2012 को मौके पर जाकर किये एवं प्रतिवेदन निम्नानुसार दिए :– उपलब्ध कराई जा रही निजी भूमि वनभूमि से लगी हुई है एवं वृक्षारोपण हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार पर उपयुक्त है।

1. स्वयल--ककरेड़ी 2. सेन्ड–रेत नहीं है। 3. मिट्टी की गहराई–20 मीटर 4. आद्रता –नमीयुक्त 5. नदी–नाले--छोटेनाले 6. भू–क्षरण नहीं है। 7. ढाल–15 से.मी. 8. वन्यप्राणी–पर्यावास नहीं है 9. जलवायु--शीतोष्ण 10. वन्यप्राणी सुरक्षा एवं संरक्षण–किया जाता है। ऐसा उनके द्वारा लेख किया गया है।

अतः वन परिक्षेत्राधिकारी अतरैला एवं उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल रीवा से सहमत होते हुए प्रदाय की जा रही राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। अतः वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

E:\BACKUP-2\manchitrakar 2012&13\January 2012.doc वन अपराध या शिकार से सम्बंधित सूचना टोल फ्री नम्बर 155312 अथवा 1800 233 4396 पर दीजिए–दिन या रात कभी भी। (बेटी है तो कल है)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सामान्य रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा – 486001

E Mail- dforewa@rediffmail.com, Phone- 07662- 251335 Fax- 07662- 254335

क्रमांक/मा.चि./ 8462 रीवा, दिनांक 10-10-12

प्रति,

विरला कार्पोरेशन
लिमिटेड इकाई सतना
जिला सतना (म.प्र.)

विषयः– Request for suitbility of land for compensatory land in villageRojhohi Tahhil/range Sirmour forest diversion of Bikram coal project District Shahdol Rewa (M.P.)

सन्दर्भः– उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल रीवा का पत्र क्रमांक /2842 रीवा दिनांक 09.10.2012

विषयान्तर्गत लेख है कि विड़ला कार्पोरेशन द्वारा कोल माइन्स प्रोजेक्ट हेतु वन विभाग की 239.00 हे. वनभूमि शहडोल वृत्त की अधिकृत की गई है जिसके बदले वृक्षारोपण हेतु वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र सिरमौर की ग्राम रोझौही तहसील सिरमौर की 56.931 हे. राजस्व भूमि आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है जिसके लिए आवेदक संस्था द्वारा इस कार्यालय से उपयुक्त्ता प्रमाण–पत्र चाहा गया है, जिसके सम्बंध में उपवनमण्डलाधिकारी रीवा को इस कार्यालय के पत्र क्र./मा.चि./7304 रीवा, दिनांक 03.09. 2012 द्वारा स्थल की जॉच हेतु लेख किया गया था जिसके संबंध में उपवनमण्डलाधिकारी,उपवनमण्डल रीवा द्वारा उनके पत्र क्र./2144 रीवा, दिनांक 04.09.12 द्वारा परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर को 10 बिन्दुओं के आधार पर जानकारी हेतु लेख किया गया था। तथा उनके द्वारा स्थल की जॉच कर बिन्दुवार प्रतिवेदन उ.व.मं.अ.रीवा की ओर उनके पत्र क्र./1121 दिनांक 20.09.12 द्वारा जानकारी भेजी गई तथा उ.व.मं.अ.रीवा वन परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर द्वारा दी गई बिन्दुबार जानकारी की जॉच कर प्रतिवेदन इस कार्यालय की ओर भेजा गया है। तथा उनके द्वारा अनुशंसा सहित भेजी गई जानकारी निम्नानुसार है :– उपलब्ध कराई जा रही निजी भूमि वनभूमि से लगी हुई है एवं वृक्षारोपण हेतु निम्न बिन्दुओं के आधार पर उपयुक्त है। 1. स्वयल–ककरेड़ी 2. सेन्ड–रेत नहीं है। 3. मिट्टी की गहराई–20 मीटर 4. आद्रता –नमीयुक्त 5. नदी–नाले–छोटेनाले 6. भू–क्षरण नहीं है। 7. ढाल–10 से 30 डिग्री 8. वन्यप्राणी–पर्यावास नहीं है 9. जलवायु–शीतोष्ण 10. वन्यप्राणी सुरक्षा एवं संरक्षण–किया जाता है। तथा आप उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन पृथक से इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

1. अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की जी.पी.एस.रीडिंग पृथक से उपलब्ध करावें।

अतः वन परिक्षेत्राधिकारी सिरमौर एवं उपवनमण्डलाधिकारी उपवनमण्डल रीवा से सहमत होते हुए प्रदाय की जा रही राजस्व भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। अतः वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

10/10/12

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र. / मा.चि. / 8463 रीवा दिनांक 10-10-12

प्रतिलिपिः– वन परिक्षेत्राधिकारी,वनपरिक्षेत्र सिरमौर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)